© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

नारी जीवन की ज्वलंत समस्याएं

सुनीता रानी, शोधार्थी, एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, केथल(हरियाणा),

जीन्द–सेमिनार दिनांक 17.12.2016

वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी भी उम्र और वर्ग की स्त्री आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही, यहाँ तक, अबोध बच्चियाँ एवं बुजुर्ग महिलाएँ भी दरिन्दगी की शिकार हो रही हैं। यौन–उत्पीड़न अपराध एक गंभीर समस्या है। यौन–उत्पीड़न के अतिरिक्त नारी जीवन की अनेक समस्याएं हैं जिनका उल्लेख निम्नवत है।

नारी शिक्षा का अभाव

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्र प्रगति तथा सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है–किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए महिलाएँ ही जिम्मेदार होती हैं। पुरूषों के किसी भी आन्दोलन की प्रेरणा स्रोत महिलाएं ही होती है। ये सब तभी संभव होगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी।

शिक्षा के अभाव में महिलाओं को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृति, धार्मिक व साहित्यिक परिस्थितियों में शिक्षा के अभाव में महिलाओं की भूमिका नगण्य तथा महत्वहीन रहती है।

शिक्षा के अभाव में महिलाओं को यौन–उत्पीड़न के अपराधों, बलात्कार की घटनाओं, दहेज उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसा, वेश्यावृत्ति, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या व अन्य जघन्य अपराधों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के अभाव में महिलाएं संविधान प्रदत्त अधिकारों का सदुपयोग कर पाने में असमर्थ रहती हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। घर–परिवार, समाज, राष्ट्र की प्रगति तथा उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। महिला शिक्षा का अभाव परिवार की संपूर्ण इकाई के विकास के लिए न केवल बाधक है बल्कि असंभव भी है।

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में राष्ट्र के उत्थान एवं विकास, नारी स्वयं के समुचित विकास, घर–परिवार, सभ्यता एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय चेतना में जागृति के लिए नारी का शिक्षित होना अति आवश्यक है। अतः पुरूष, समाज, सरकार रूपी तीनों अंगों ने मिलकर नारी शिक्षा के समुचित उपाय करने चाहिए।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

पुरूष मानसिकताःपूर्वाग्रही सोच से ग्रस्त

सृष्टि की संरचना नर तथा नारी से उत्पतित हुई है। आदिकाल में नर–नारी, पुरूष–महिला, नगन्य अवस्था में जंगलों में निर्वाह करते थे। समयानुसार विकास तथा ज्ञान की प्रेरणा से सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होने लगा। पुरूष तथा नारी में भेद प्रतीत होने लगा। प्रारम्भ से पुरूष नारी को अपने अधीन समझता था। युग–युगान्तरों तथा बदलती परिस्थितियों में नारी पुरूष की दासता में जकड़ी रही। नारी को संतान उत्पत्ति तथा भोग की वस्तु माना जाता रहा तथा नारी को मात्र विलासिता का उपकरण समझा जाने लगा। भारत सदियों से विदेशी हुकूमतों के अधीन रहा। तत्कालीन समय में नारी की स्थिति दयनीय तथा पुरूष के अधीनस्थ रही। स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त नारी की स्थिति में सुधार होना आरंभ हुआ। भारत के संविधान में नारी को पुरूष के समान अधिकार दिये गये। निःसंदेह नारी का विकास भी हुआ। फलस्वरूप नारी पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। वर्तमान में नारी– शिक्षा, खेल, शासन, प्रशासन, कला–विज्ञान, अनुसंधान, अंतरिक्ष, साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा सेना के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है।

वर्तमान में नारी 21वीं सदी के दौर में प्रगति की राह पर है लेकिन नारी के साथ अपराध, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, घरेलू हिंसा, यौन–उत्पीड़न जैसी अपराधिक घटनाओं की निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिसका मुख्य एवं एक मात्र कारण पुरूष की पूर्वाग्रही सोच से ग्रस्त होना है। सरकार तथा प्रशासन की ओर से नारी की अभिरक्षा हेतु अनेक प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं फिर भी नारी के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति में कमी की अपेक्षा वृद्धि होती जा रही है।

इस समस्या का समाधान केवल सरकार या प्रशासन के बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें समाज के नजरिये को बदलना होगा। आवश्यकता है पुरूष की पूर्वाग्रही सोच में बदलाव की। जिस दिन पुरूष की सोच में नारी के प्रति आदर व सम्मान, माँ–बहन–बेटी का रूप धारण हो जायेगा उसके बाद सरकार को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

नारी स्वभाव एवं नारी मानसिकता

निःसंदेह वर्तमान में नारी प्रगति के दौर में है, फिर भी नारी के प्रति अपराधों की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आज के प्रगति के इस युग में नारी कहीं भी तो सुरक्षित नहीं है। घर–परिवार, स्कूल–कालेज, व्यावसायिक संस्थान औद्योगिक क्षेत्र, बस–ट्रेन आदि सभी स्थानों पर आज की नारी अपराधिक घटनाओं की शिकार होती जा रही है। इन घटनाओं के प्रति पुरूष की संकुचित मानसिकता, नारी के प्रति अनादर, कामवासना की तृप्ति आदि अनेक कारण हो सकते हैं। मुझे यह कहने तथा लिखने में कतई संकोच नहीं है कि इन घटनाओं के पीछे स्वयं नारी के स्वभाव तथा नारी की स्वयं की मानसिकता की भी अहम् भूमिका है। वर्तमान के इस दौर में नारी के प्रति

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

अपराधिक घटनाओं का विश्लेषण करने उपरान्त निष्कर्ष यह है कि इन घटनाओं के पीछे 70 प्रतिशत नारी का स्वभाव एवं मानसिकता उत्तरदायी है। यदि नारी स्वयं स्वभाव और हृदय से ठीक है तो इस प्रकार की अपराधिक घटना को अंजाम देने वाले को 100 बार सोचना पड़ेगा। अतः सख्त आवश्यकता है नारी अपने स्वभाव एवं मानसिकता में बदलाव लाये।

वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति का गिरता स्तर

प्रगति के इस दौर में नारी का उत्पीड़न, यौन–शोषण, बलात्कार, हत्या, अपहरण, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा आदि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के गिरते स्तर के प्रतीक हैं। वर्तमान में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जिनको देखकर, पढ़कर, सुनकर मनुष्य न केवल शर्मशार होता है बल्कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं । घर परिवार में पिता द्वारा पुत्री के साथ, भाई द्वारा बहन के साथ, शिक्षक द्वारा शिष्या के साथ कार्यालय में अभिरक्षक द्वारा अभिरक्षिता के साथ, डाक्टर द्वारा मरीज के साथ छेड़खानी, अभद्रता, अश्लीलता, बलात्कार की घटनाएं निश्चित तौर पर हमारे समाज, मानवता, सभ्यता एवं संस्कृति को झकझोरती हैं। वर्तमान में ऐसी घिनौनी घटनाओं का मुख्य कारण हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के गिरते स्तर का परिणाम हैं।

दूषित सामाजिक वातावरण

सभ्यता–संस्कृति–समाज, किसी भी देश की प्रगति की परिधि के मापक सूत्र हैं। वर्तमान में हमारे देश में सामाजिक वातावरण विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधिक एवं कुण्ठित होता जा रहा है। महिलाओं के साथ दिन–प्रतिदिन अपहरण, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न, हत्या, अश्लीलता, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या जैसी घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इन घटनाओं के पीछे अनेक कारण हैं। परन्तु सामाजिक वातावरण का दूषित होना मुख्य कारणों में एक है। वर्तमान में हमारा समाज खण्डित, भ्रमित तथा क्रूर होता जा रहा है। सामाजिक वातावरण का दूषित होना, मानवता, विशेषकर महिला समाज के लिए एक गंभीर समस्या एवं चुनौती है।

महिलाओं का गिरता आचरण

पुरूष तथा महिला–समाज, सभ्यता, संस्कृति के निर्माण के आधार स्तम्भ हैं। सामाजिक परिवेश में दोनों (नर–नारी) की भूमिका का विशेष महत्त्व है। वर्तमान में नारी के प्रति अपराधों की श्रृंखला में अकेले पुरूष को दोष देना उचित नहीं होगा। इन अपराधिक परिस्थितियों के लिए स्वयं महिला भी दोषी हैं, जीवन के प्रारंभिक दौर महिलाएं/छात्राएं स्कूल–कालेजों में शैक्षणिक काल में ब्याव फ्रैण्ड बनाती हैं तथा छात्र गर्ल फ्रैण्ड बनाते हैं। छात्र–छात्राओं की यह फ्रैण्डसिप मुख्यतः अपराधों का आधार बनती हैं। छात्राओं का अपने फ्रैण्ड (मित्र) के साथ घर से बाहर रहना, माता–पिता को धोखे में रखकर, बहाने बनाकर फ्रैण्डसिप की पींग चढ़ाना तथा अन्त में माता–पिता की इच्छा के

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

विपरीत सामाजिक बंधनों को तोड़कर घर से भाग जाना महिलाओं/छात्राओं के गिरते आचरण का प्रतीक है। इस प्रकार की घटनाओं की वर्तमान में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इन घटनाओं का विश्लेषण एवं आंकलन करने उपरान्त यह तथ्य सामने आता है कि प्रेम–प्रसंग की ऐसी घटनाएं 100 में से 70 से 80 प्रतिशत तक पढ़ने वाली छात्राओं की होती हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएँ स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ होती हैं, परिणामस्वरूप अपराधिक घटनाओं की शिकार होती हैं। महिलाएं भूल जाती हैं कि उनकी छोटी सी भूल–जीवन की बर्बादी का आधार बन जाती है। महिलाओं के आचरण का इस देश की सभ्यता एवं संस्कृति के साथ गहरा संबंध हैं। आज आवश्यकता है कि महिलाओं को चरित्रवान, मूल्यवान एवं निष्ठावान बनने की ताकि उनका व समाज का उत्थान हो सके।

गिरते राजनीतिक स्तर का प्रभाव

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा दिया गया है। महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं लेकिन इनकी भागीदारी की प्रतिशतता वांछित संख्या से बहुत कम है। राजनीति में महिलाएं स्वतंत्रता उपरान्त 33 फीसदी आरक्षण की मांग कर रही हैं। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय स्वशासन, नगर निगमों आदि में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया था जो वर्तमान में पूर्णतः लागू हैं। महिलाएं विधानसभाओं, विधान परिषदों व संसद के दोनो सदनों में भी 33 फीसदी आरक्षण की मांग लम्बे समय से कर रही हैं। राजनीति में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण हेतु विधेयक काफी समय से लम्बित है। कोई भी राजनीतिक दल इस विधेयक को पारित करवाने में दिल से इच्छुक नहीं है। संसद से बाहर सभी राजनीतिक दल व उनके नेता महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं तथा संसद के अन्दर इस विधेयक का विरोध करते हैं। यह वर्ताव राजनीतिक दलों व उनके नेताओं की संकुचित सोच को दर्शाता है। वास्तव में राजनीतिक लोग/नेता अपने वंशवाद की महिलाओं के अतिरिक्त अन्य महिलाओं को राजनीति में अथवा महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। उनकी महिलाओं के प्रति संकुचित सोच, गिरती मानसिकता तथा स्वार्थी दृष्टिकोण, देश के गिरते राजनीतिक स्तर के परिचायक हैं। समय में तीव्रता से परिवर्तन, महिलाओं की विश्वस्तर पर जागरूकता तथा महिलाओं की बलवती इच्छा शक्ति को राजनेता भविष्य में लम्बे समय तक नहीं दबा सकेंगे।

पारिवारिक मूल्यों में बदलाव

परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो आदिम काल से लेकर वर्तमान तक चलती आ रही है। सर्वप्रथम जन्म लेते ही हम एक परिवार के सदस्य बनते हैं तथा मृत्युपरान्त भी हमारी गतिविधियां परिवार के इर्दगिर्द ही घूमती रहती हैं। परिवार समाज की

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

आधारशिला होता है। मनुष्य जीवन के आधारभूत तत्व परिवार से ही पूर्ण होते हैं। यौन–इच्छाओं की पूर्ति, सन्तानोत्पत्ति, संतान का पालन–पोषण, प्रजाति की निरन्तरता, शारीरिक संरक्षण, सामाजिक कृत्यों का निर्वहन, आर्थिक–धार्मिक प्रयोजन, सांस्कृतिक कार्य आदि। वर्तमान में पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन होता जा रहा है। दुर्भाग्यवश कन्या को वह महत्त्व नहीं दिया जाता जो पुत्र को मिलता है। भ्रूण हत्या, परिवार से ही चलती है। कन्याओं के साथ पुत्रों की तुलना में भेद–भाव किया जाता है। कन्या को कष्टदायक तथा परिवार पर बोझ समझा जाता है। संयुक्त परिवारों में महिलाओं को बंधक के रूप में रखा जाता है। पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आने लगी है। आजकल महिला परिवार में ही सुरक्षित नहीं है। पिता द्वारा पुत्री से, भाई द्वारा बहन से, ससुर द्वारा पुत्रवधू से बलात्कार की अनेक घटनाएं घटती हैं जिनसे परिवार कलंकित होते जा रहे हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण का प्रभाव

वर्तमान में आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में समय तेजी से बदल रहा है। आज महंगाई के दौर में पुरूष तथा महिला दोनों को घर से बाहर निकलकर घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्य करना पड़ता है। भारतीय समाज में आधे से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। भारत वर्ष में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है जिन्हें सड़कों, सामाजिक स्थलों पर रात बितानी पड़ती है। आर्थिक स्थिति की कमजोरी का प्रभाव महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी रूकावट आर्थिक स्थिति की निर्बलता मानी जाती है। इस निर्बलता के कारण महिलाओं को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। समाज में गौरवमयी स्थान से महिलाएं वंचित रहती हैं। आर्थिक कमजोरी महिलाओं के घरेलू हिंसा का मूल कारण है। आर्थिक कमजोरी के कारण महिलाएं अपराध की शिकार होती हैं। यौन उत्पीड़न, व अन्य अपराध भी आर्थिक कमजोरी के कारण महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। स्त्री सशक्तिकरण और कार्यशीलता में आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी बाधा है। भ्रूण हत्या करने और करवाने में आर्थिक स्थिति का योगदान है। राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृति कार्यक्रमों में भागीदारी तथा भूमिका के लिए आर्थिक स्थिति का मुख्य प्रभाव है। आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण श्रमिक महिलाओं को संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

समान अधिकारों का न होना

भारतीय संविधान स्त्री–पुरूषों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा है–''धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।'' यह सत्य है कि आज महिलाएं शिक्षा, खेल, शासन, प्रशासन, कला, विज्ञान, अनुसंधान, अंतरिक्ष, साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा सेना के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। फिर भी वर्तमान में

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

महिलाओं के समुचित विकास के लिए शिक्षा में सशक्तिकरण अति आवश्यक है।

महिलाओं की स्थिति का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, आय और जीवन स्तर के आधार पर मूल्यांकन करने पर प्राप्त परिणाम कुछ निराशा जनक ही हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव, सामाजिक–आर्थिक असमानता, कन्या–भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति, अपराध और अपमान में हो रही वृद्धि काफी चिन्ताजनक है। मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, साक्षरता दर में पुरूषों के सापेक्ष अत्याधिक अन्तर, बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर आदि अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जिसके कारण समाज में महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है।

वर्तमान में महिलाओं को आवश्यकता है– महिला शिक्षा सशक्तिकरण की, आवश्यकता है सामाजिक तथा घरेलू हिंसा में स्त्री सशक्तिकरण की, आवश्यकता है अपराध–आत्म–हत्याएं, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न, अपहरण, भ्रूण–हत्या में महिला सशक्तिकरण की, आवश्यकता है कार्यशीलता में स्त्री सशक्तिकरण की तथा आवश्यकता है आधुनिक युग की ज्वलंत समस्या एवं महिलाओं की प्रबल मांग–राजनीति में समान भागीदारी के सशक्तिकरण की तथा आवश्यकता है सामाजिक न्याय, हिन्दू विवाह, नर–नारी, संबंधों की संक्रान्ति एवं समाज में नारी उत्थान के उपायों के सशक्तिकरण की।

यह सत्य है कि आधुनिक युग में प्रगति की दौड़ में महिलाओं के समुचित विकास, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृति तथा आर्थिक पटल एवं व्यावसायिक व्यवस्था में महिलाओं की समान भागीदारी के बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया

अपराध की रोकथाम के लिए कानून विद्यमान हैं जिनकी प्रक्रिया न्यायालयों में होती है। कठोर कानून व्यवस्था के होते हुए भी अपराधों की संख्या में वृद्धि का होना इस बात की ओर संकेत करता है अपराधियों को कानून का भय नहीं है। निःसन्देह कानून भी, कानून में कठोर कारावास का प्रावधान भी है। लेकिन कानून की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। आजकल भारत में जेलों का आदर्श नाम 'सुधार गृह' है। यह नाम आपत्तिजनक भी नहीं है। अपराधी, अपराध की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् सजा मिलने उपरान्त जेल में रहता है। अपराधी, जमानत होने पर पैरोल पर आने पर या भगौड़ा होने पर पुनः अपराध करता है। आजकल न्यायालयों में जमानत मिलना स्वाभाविक है। अपराध की किस्म, अपराध की जघन्यता आदि को मध्यनजर नहीं रखा जाता। अपराधी पैरोल को अपना मौलिक अधिकार मानता है, जिसका वह दुरूपयोग करता है।

हमारी न्यायिक प्रक्रिया में ये मुख्य दोष व्याप्त है कि एक अपराधी कितने ही संगीन अपराध का दोषी क्यों न हो न्यायालय द्वारा उसे कितनी ही कठोरतम सजा क्यों न दी गई हो लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक अशिक्षित मुख्यमंत्री विशेष अवसर पर न्यायालय द्वारा दी गई सजा में

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 09 | October – December 2016
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in
PEER REVIWED & REFEREED

कटौती कर देता है जबकि उस मुख्यमंत्री महोदय को अपराधी के अपराध की किस्म तक का ज्ञान नहीं होता। वर्तमान में अपराधी को जेल में ऐसी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, जो आजकल घर में आये विशेष अतिथि को नहीं मिलती। ऐसी स्वतंत्रताओं के होते हुए अपराधियों के हौंसले बुलंद रहते हैं जो अपराधों की रोकथाम में बाधक हैं। यह सब हमारी दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है।